

24/04/23

वकील वादी द्वारा विद्रो प्रापत्र प्रस्तुत
किये जाने के आधार पर मूल वाद ही
विद्रो किया जा चुका है। अतः यह प्रापत्र
सौंपत्यहीन होने के कारण खारिज किया
जाता है। यह निर्णय सुबले न्यायालय के
मुनाथा गया।

24/04/23
उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

साँभर लेक

मे मूल दावा मय प्रापत्र
पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
विद्रो करना चाहता हूँ।

जोगेश्वर
जोगेश्वर
के
[Signature]

